न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2,गाजियाबाद।

उपस्थितः पीठासीन अधिकारी– गौरव शर्मा (एच० जे० एस०)
J O I.D. U P 6276
जमानत प्रार्थना पत्र सं० – 352/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं० – 952/2026

विभोर शर्मा पुत्र स्व० महेश प्रकाश शर्मा, निवासी– सी–106, इन्द्रा ब्लॉक सी,थाना–लोनी बॉर्डर, जिला–गाजियाबाद।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

–––––––––––विपक्षी

मु०अ०सं०– 29/2026
धारा–109(1),61(2),3(5) भा०न०सं०
थाना– लोनी बॉर्डर , गाजियाबाद।

<u>दिनांक 16–03–2026</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त विभोर शर्मा पुत्र स्व० महेश प्रकाश शर्मा की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०– 29/2026, धारा–109(1),61(2),3(5) भा०न०सं०, थाना– लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार श्रीमती इन्दु शर्मा द्वारा शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस प्रार्थना पत्र के अलावा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– मैनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरिशंकर द्वारा थाना– लोनी बॉर्डर पर दिनांक 26.01.2026 को समय 19:44 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि प्रार्थी के पड़ोस में गगन, अभि पुत्रगण सुरेश, सुरेश पुत्र नामालूम रहते हैं, ये लोग प्रार्थी से होली दिनांक 14.03.2025 पर प्रार्थी एवं गगन अभि में हुए झगडे के कारण रंजिश मानते हैं इसलिए आये दिन गगन, अभि व इनका पूरा परिवार प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी से लड़ाई व झगड़ा करते हैं, पूर्व में प्रार्थी की पत्नी संजू को अकेला पाकर मोटरसाइकिल पर गगन अभि ने छेडछाड़ की थी। दि० 30.12.2025 को पार्क में प्रार्थी की पत्नी संजू टहल रही थी, तभी नकाबपोश बाईक सवारों ने प्रार्थी की पत्नी पर रेकी की थी, जिसकी सूचना लालबाग चौकी में दी थी। दि० 25.01.2026 समय करीब 7:25 PM के प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ सब्जी मंडी से सब्जी लेकर लौट रहा था, तभी दो नकाबपोश मोटर साइकिल सवारों ने प्रार्थी की पत्नी को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। प्रार्थी की पत्नी को 50 सइया अस्पताल ले जाया गया, हालत गंभीर होने की वजह से दिल्ली के अस्पताल(जी०टी०बी) रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि प्रार्थी की पत्नी पर जानलेवा हमला गगन, अभि व सुरेश ने कराया है। प्रार्थी की पत्नी के उपचार में व्यस्त होने के कारण तहरीर में विलंब हुआ। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व फर्जी रूप से फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। वादी ने पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला करना बताया है, जबकि उपरोक्त मुकदमे की पीडिता का पति स्वयं आरोपी है। उपरोक्त प्रथम सूचना

रिपोर्ट एक दिन की देरी से दर्ज कराई है और वादी ने देरी का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई सी०सी०टी०वी० फुटैज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की पुलिस द्वारा कोई शिनाख्त नहीं कराई गयी है। उपरोक्त वर्णित घटना के समय का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से हथियार लेने का कोई सी०सी०टी०वी० फुटैज नहीं है, न ही कोई गवाह है, केवल कन्फैशन स्टेटमैन्ट के आधार पर मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का दौरान वाद विचारण माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोडकर भागने व गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु माकूल जमानत देने को तैयार है। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पत्नी पर जान से मारने की नियत से गोली से फायर किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा की पत्नी पर आपराधिक साजिश रचते हुए, साझा इरादे के साथ गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने का अभियोग है। **गोली चलाकर हत्या का प्रयत्न** करने का अभियोग एक गंभीर अभियोग है, जिसमें **10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा** का प्रावधान है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण(जिसमें वादी मुकदमा, जो कि चुटैल का पति है) के साथ मिलकर संजू को मारने की योजना बनायी थी, जिसका सौदा अभियुक्तगण के साथ एक लाख रूपये में तय होना दर्शित किया गया है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी मुकदमा **हरिशंकर ने विभोर शर्मा से अपनी पत्नी संजू को मरवाने के लिए एक पिस्टल व 3 कारतूस लिये थे** तथा योजना के मुताबिक दि० 25.01.2026 को विनीत अपने भाई अर्जुन व अपने साथी राज बैंसला उर्फ राजा व अभिषेक के साथ मिलकर हरिशंकर उर्फ सोनू की सूचना पर सब्जी मंडी से सब्जी लाते समय रेकी कर, विनीत ने हरीश की पत्नी संजू को जान से मारने की नियत से पीठ में गोली मारी थी, जिसमें मोटरसाइकिल राजा उर्फ राज चला रहा था। मेडिकल प्रपत्रों व डाक्टर के बयानों से भी स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की पत्नी संजू को फायर आर्म्स इंजरी आई है तथा संजू की चोटें व स्थिति गंभीर थी। **उक्त अपराध एक सुनयोजित प्रकार व आपराधिक साजिश के तहत किया गया गंभीर प्रकृति का अपराध है।** अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विभोर शर्मा पुत्र स्व० महेश प्रकाश शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2
गाजियाबाद।